Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजसमन्द में जसराज, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालेसरिया एवं तोलाराम हाल अंशकालिक चपरासी 15,000/– की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 12.08.2025 मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द द्वारा आज कार्यवाही करते हुये जसराज हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालेसरिया तहसील/पंचायत समिति देवगढ़, जिला राजसमंद, तोलाराम हाल अंशकालिक चपरासी ग्राम पंचायत कालेसरिया, जिला राजसमंद को परिवादी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान की बकाया किस्तें जमा करवाये जाने की एवज में 25,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर दौराने ट्रैप कार्यवाही आरोपी जसराज ग्राम विकास अधिकारी द्वारा आरोपी तोलाराम नायक अंशकालिक चपरासी (प्राईवेट व्यक्ति) के मार्फत परिवादी से रिश्वत राशि 15,000/– रूपये प्राप्त करते हुए दोनो आरोपीगण को पकडा गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द को एक शिकायत इस आशय की मिली कि जसराज हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालेसरिया तहसील/पंचायत समिति देवगढ, जिला राजसमंद, देवाराम हाल अंशकालिक चपरासी ग्राम पंचायत कालेसरिया, जिला राजसमंद द्वारा परिवादी के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान की बकाया किस्तें जमा करवाये जाने की एवज में 25,000/– रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा हैं।

जिस पर एसीबी उदयपुर रेंज उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री प्रहलादसिंह कृष्णीया** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. चौकी राजसमन्द के **श्री हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक** के नेतृत्व में आज मय टीम के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी जसराज हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कालेसरिया तहसील/पंचायत समिति देवगढ, जिला राजसमंद, तोलाराम हाल अंशकालिक चपरासी ग्राम पंचायत कालेसरिया, जिला राजसमंद को रिश्वत राशि 15,000/– रूपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।